**कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी**

**प्रेस-नोट**

**दिनांकः-07.11.2023**

**ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अभियोग के अभियुक्त राजू को लूट के मामले में मा0 न्यायालय द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि व कुल 400 रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया**

थाना-भेलूपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 235/2013 धारा- 392/411 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त **राजू गुप्ता पुत्र भइयालाल निवासी- पैगम्बरपुर पंचकोशी थाना सारनाथ, जनपद वाराणसी** को थाना भेलूपुर पुलिस व मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 07.11.2023 को मा0 न्यायालय जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त राजू उपरोक्त को धारा- 392/411 में जेल में बिताई गई अवधि व कुल 400 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 5-5 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

**सोशल मीडिया सेल**
**पुलिस उपायुक्त**
**जोन-काशी कमिश्नरेट-**
**वाराणसी**